फा.सं. 4-181/2017-18/रा.म.आ.-183

राष्ट्रीय महिला आयोग

***

भूखंड सं. 21, जसोला संस्थानिक क्षेत्र
नई दिल्ली-110025,
तारीख: 5 मार्च, 2018

विषय: आयोग की 183वीं बैठक के कार्यवृत्त - के संबंध में

तारीख 16 फरवरी, 2018 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में आयोग के सम्मेलन कक्ष में आयोजित आयोग की 183वीं बैठक का कार्यवृत्त जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए संलग्न हैं।

2. यह अनुरोध है कि यदि उपर्युक्त बैठक में और आयोग के समक्ष रखी गई कार्यसूची मदों के संबंध में किए गए विनिश्चय के आधार पर की गई कार्रवाई, यदि कोई हो, तो उसे शीघ्रातिशीघ्र आयोग के समक्ष आगामी बैठक में रखा जाए।

सलंग्न: यथा उपरोक्त

(आर.सी.आहूजा)
अवर सचिव

सेवा में:

1. अध्यक्षा के निजी सचिव
2. सदस्य (सुषमा साहू) के निजी सचिव
3. सदस्य (आलोक रावत) के निजी सचिव
4. सदस्य-सचिव के निजी सचिव
5. संयुक्त सचिव के निजी सचिव
6. अवर सचिव(आर.सी.)/अवर सचिव(पी.के.)/वेतन और लेखा अधिकारी
7. वरिष्ठ समन्वयक (श्रीमती कंचन खट्टर/श्रीमती लीलाबती)
8. प्रकोष्ठों के सभी प्रमुख/प्रभारी
9. ज्येष्ठ प्रोग्रामर/प्रशासन लोकल सर्वर में इसे अपलॉड करने के लिए।

राष्ट्रीय महिला आयोग

तारीख 16 फरवरी, 2018 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में आयोग के, नई दिल्ली के सम्मेलन कक्ष में आयोजित आयोग की 183वीं बैठक का कार्यवृत्त ।

उपस्थितः-

1.	सुश्री रेखा शर्मा	अध्यक्षा (प्रभारी)
2.	श्री आलोक रावत	सदस्य
3.	सुश्री सुषमा साहू	सदस्य
4.	डा. सतबीर बेदी	सदस्य–सचिव

निम्नलिखित भी उपस्थितः-

1.	श्री कुन्दल लाल शर्मा	संयुक्त सचिव
2.	श्री आर.सी. आहूजा	अवर सचिव
3.	सुश्री प्रीति कुमार	अवर सचिव
4.	श्री राजेश कुमार आहूजा	वेतन और लेखा अधिकारी
5.	सुश्री लोमा वशिष्ट	वेतन और लेखा अधिकारी

आरंभ में अध्यक्षा (प्रभारी) ने राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना के 25वें वर्ष के वार्षिकोत्सव के लिए तारीख 31 जनवरी, 2018 को आयोजित समारोह का सफलतापूर्वक आयोजन करने के लिए किए गए निष्ठापूर्वक प्रयासों के लिए सबकों धन्यवाद किया। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि तारीख 24 जनवरी, 2018 को एसिड हमले पर राष्ट्रीय सेमिनार भी सुआयोजित किया गया था।

इसके पश्चात् सदस्य-सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग ने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा और सदस्यों तथा आयोग की बैठक में मौजूद अन्य अधिकारियों का स्वागत किया।

निम्नलिखित कार्यसूची मदों पर विचार-विमर्श किया गया:-

कार्यसूची मद सं. 1:

तारीख 23 जनवरी, 2018 को आयोजित आयोग की 182वीं बैठक का कार्यवृत्त।

आयोग द्वारा तारीख 23 जनवरी, 2018 को आयोजित आयोग की 182वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

कार्यसूची मद सं. 2:

भारत में एसिड हमले का सामना करने के लिए, तारीख 24 जनवरी, 2018 को सामाजिक-विधिक पहलू पर एक दिन के राष्ट्रीय सेमिनार पर रिपोर्ट।

आयोग ने कार्यसूची टिप्पण में उल्लिखित स्थिति पर विचार किया।

2. सदस्य (श्री आलोक रावत) ने संयुक्त सचिव द्वारा विशिष्ट रूप से दर्शित तथ्यों के संबंध में आपत्ति की। विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श करने के पश्चात् यह विनिश्चय किया गया कि इस विषय पर और आगे अलग से विचार किया जाएगा।

कार्यसूची मद सं. 3:

राष्ट्रीय महिला आयोग में अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ का पुर्नगठन

आयोग ने संसद की स्थायी समिति के निष्कर्षों और सिफारिशों पर विचार किया और कार्यसूची टिप्पण में लाए गए प्रस्ताव का अनुमोदन किया। आयोग ने विस्तारपूर्वक विचार करने के पश्चात् यह भी विनिश्चय किया कि अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ को बेहतर सुविधाएं, जिसमें हाई-स्पीड इंटरनेट और वीडियों कान्फ्रेंसिंग की सुविधा शामिल हैं, प्रदान की जा सकती है। इस प्रकोष्ठ में तैनात किए जाने वाले कर्मचारियों की संख्या के बारे में आयोग ने यह विनिश्चय किया कि इस विषय के संबंध में अंतिम विनिश्चय अध्यक्षा (प्रभारी) द्वारा किया जाएगा।

कार्यसूची मद सं. 4:

मनोरोग संबंधी गृह/अभिरक्षा संबंधी गृह को संभालने के लिए प्रकोष्ठ का सृजन

आयोग ने, इस परिवर्तन के साथ कि नए भर्ती किए जाने वाले संविदात्मक कर्मचारियों द्वारा पदग्रहण करने की संख्या के आधार पर निर्भर करते हुए, कार्यसूची मद में लाए गए प्रस्ताव का अनुमोदन किया। इस प्रकोष्ठ में तैनात किए जाने वाले संविदात्मक कर्मचारियों की संख्या के बारे में आयोग ने यह विनिश्चय किया कि इस बारे में अंतिम विनिश्चय आयोग की अध्यक्षा (प्रभारी) करेगी।

कार्यसूची मद सं. 5:

विधिक प्रकोष्ठ का पुर्नगठन

आयोग ने कार्यसूची टिप्पण में लाए गए प्रस्ताव का अनुमोदन किया और यह विनिश्चय किया कि यथासंभव शीघ्र विधि अधिकारी के रिक्त पद को भरने के लिए प्रयास किया जाए।

कार्यसूची मद सं. 6:

महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ का सृजन

आयोग ने कार्यसूची टिप्पण में लाए गए प्रस्ताव का अनुमोदन इस परिवर्तन के साथ किया कि इस प्रकोष्ठ में तैनात किए जाने वाले कर्मचारियों की संख्या की बाबत अंतिम विनिश्चय अध्यक्षा (प्रभारी) द्वारा लिया जाएगा।

कार्यसूची मद सं. 7:

महिला कल्याण प्रकोष्ठ का सृजन

उच्चतम न्यायालय के निदेशों और सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से प्राप्त पत्र के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए आयोग ने कार्यसूची टिप्पण में लाए गए प्रस्ताव का अनुमोदन किया। श्री आलोक रावत, सदस्य ने यह कहा कि आयोग को जो अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी जा रही है उसको ध्यान में रखते हुए इस प्रकोष्ठ के लिए आयोग को नियमित जन-शक्ति बढ़ाने का एक प्रस्ताव पेश करना चाहिए। आयोग ने यह विनिश्चय भी किया कि इस प्रकोष्ठ में तैनात किए जाने वाले कर्मचारियों की संख्या के बारे में अंतिम विनिश्चय अध्यक्षा (प्रभारी) करेगी।

कार्यसूची मद सं. 8:

क्षमता निर्माण प्रकोष्ठ का सृजन

आयोग ने कार्यसूची टिप्पण में लाए गए प्रस्ताव का अनुमोदन इस परिवर्तन के साथ किया कि इस प्रकोष्ठ में तैनात किए जाने वाले कर्मचारियों की संख्या की बाबत विनिश्चय अध्यक्षा (प्रभारी) द्वारा किया जाएगा।

कार्यसूची मद सं. 9:

शिकायत और जानकारी प्रकोष्ठ का पुर्नगठन

आयोग ने कार्यसूची टिप्पण में लाए गए प्रस्ताव का अनुमोदन इस परिवर्तन के साथ किया कि इस प्रकोष्ठ में तैनात किए जाने वाले कर्मचारियों की संख्या के बारे में अंतिम विनिश्चय अध्यक्षा (प्रभारी) द्वारा किया जाएगा।

कार्यसूची मद सं. 10:

स्वप्रेरणा और पूर्वोत्तर प्रकोष्ठ का पुर्नगठन

आयोग ने कार्यसूची टिप्पण में लाए गए प्रस्ताव का अनुमोदन इस परिवर्तन के साथ किया कि इस प्रकोष्ठ में तैनात किए जाने वाले कर्मचारियों की संख्या की बाबत अंतिम विनिश्चय अध्यक्षा (प्रभारी) द्वारा किया जाएगा।

2. आयोग ने यह भी विनिश्चय कि कि स्वप्रेरणा प्रकोष्ठ में अतिरिक्त जन-शक्ति को तैनात करने के लिए अधिमानता दी जाए क्योंकि इस प्रकोष्ठ में कार्य की गति धीमी हो गई है।

अतिरिक्त कार्यसूची मद सं. 1:

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों को मानदेय

आयोग ने कार्यसूची टिप्पण में लाए गए प्रस्ताव का अनुमोदन इस निदेश के साथ किया कि जिन्हें मानदेय का भुगतान किया जा रहा है उनकी सूची में से दोनों अवर सचिवों को सम्मिलित न करने की उनकी इच्छा का सम्मान किया जाए।

अतिरिक्त कार्यसूची मद सं. 2:

राष्ट्रीय महिला आयोग का पुर्नगठन- संविदा के आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति

आयोग ने कार्यसूची टिप्पण में लाई गई जानकारी पर विचार किया।

अतिरिक्त कार्यसूची मद सं. 3:

राष्ट्रीय महिला आयोग में इंटर्न की नियुक्ति

श्री आलोक रावत, सदस्य ने इस प्रस्ताव का अध्ययन करने के लिए अधिक समय चाहा और यह उपदर्शित किया कि वे इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं करते हैं।

2. तथापि, आयोग ने विस्तार से विचार-विमर्श करने के पश्चात् कार्यसूची टिप्पण में लाए गए प्रस्ताव का अनुमोदन इस परिवर्तन के साथ किया कि मानदेय के साथ नियुक्ति की न्यूनतम अवधि 45 दिन के स्थानपर बढ़ाकर 60 दिन की जा सकती है।

अतिरिक्त कार्यसूची मद सं. 1:

महिलाओं की सुरक्षा को सुपथ पर लाना

सदस्य-सचिव ने आयोग को तारीख 4 मार्च, 2018 को राजपथ पर रात्रि सैर आयोजित करने के प्रस्ताव के बारे में बताया जिसमें सुश्री सृष्टि बक्षी कन्याकुमारी से श्रीनगर तक 3800 कि.मी. चलने की यात्रा में भाग ले रही है। सदस्य-सचिव ने उल्लेख किया कि यदि आयोग द्वारा इस प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया जाता है तब प्रथम महिला से इस मार्च को आरंभ करने के लिए फ्लैग ऑफ करने का अनुरोध किया जा सकता है।

2. आयोग ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया और यह विनिश्चय किया कि इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए आगे कार्यवाही की जाए।

अतिरिक्त कार्यसूची मद सं. 2:

महिलाओं के भावनात्मक हित पर राष्ट्रीय परामर्श

सदस्य-सचिव ने यह उललेख किया कि महिलाओं के भावनात्मक हित से संबंधित विषय पर राष्ट्रीय परामर्श आयोजित किया जा रहा है और इस संबंध में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की बैठक में विचार-विमर्श किया गया था। सदस्य-सचिव ने यह भी बताया कि उन्होंने आरंभिक आंकलन कर लिया है। उन्होंने यह प्रस्ताव किया कि आयोग मार्च, 2018 के तीसरे/चौथे सप्ताह में इस परामर्श को आयोजित करने का अनुमोदन कर सकता है।

2. आयोग ने सदस्य-सचिव द्वारा यथाप्रस्तावित परामर्श कराने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अतिरिक्त कार्यसूची मद सं. 3:

समन्वय प्रकोष्ठ का सृजन

श्री आलोक रावत, सदस्य ने आयोग में समन्वय प्रयोजनों के लिए अलग से प्रकोष्ठ सृजित करने का प्रस्ताव किया।

2. आयोग ने समन्वय प्रकोष्ठ स्थापित करने के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा को और से धन्यवाद प्रस्ताव पारित करके बैठक समाप्त की गई।

(डा. सतबीर बेदी)
सदस्य-सचिव, रा.म.आ.

(रेखा शर्मा)
अध्यक्षा (प्रभारी), रा.म.आ.